भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1031
उत्तर देने की तारीख 03.12.2012

अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के अवसर और अन्य कल्याणकारी कदम

1031. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लगभग छह वर्ष पूर्व पृथक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाए जाने के समय से केन्द्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए 2011 तक सृजित हुए रोजगारों की क्या स्थिति हैं;

(ख) क्या उनका मंत्रालय अल्पसंख्यकों से संबंधित कार्यकलापों की पहल अन्य मंत्रालयों अथवा योजना आयोग द्वारा किये जाने से नौकरशाही की एक और परत बनकर रह गया है; और

(ग) यदि हां, तो छात्रवृत्तियां प्रदान करने और निशुल्क कोचिंग व्यवस्था किए जाने के अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कौन–कौन से विशिष्ट उपाए किए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग)

(क) : केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि में तथा केंद्र सरकार के अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकरणों में अल्पसंख्यकों की भर्ती में सुधार लाने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में सभी मंत्रालयों/विभागों को दिशा–निर्देश जारी किये हैं, जिनमें भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु उपायों का प्रावधान है। केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में अल्पसंख्यकों की भर्ती की संख्या वर्ष 2006–07 में 6.93% से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 11.55% हो गई है।

(ख) और (ग) : जून, 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए घोषित प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम 11 मंत्रालयों/विभागों की अनेक योजनाओं को कवर करते हुए एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसुविधा प्राप्त लोगों को उससे होने वाले लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य और परिव्यय राशि का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

केन्द्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति का अनुवीक्षण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर तथा सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाता है और तत्पश्चात रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी तिमाही आधार पर प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की सिफारिशों के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य और जिला स्तरों पर अनुवीक्षण कार्य राज्य स्तर और जिला स्तर की समितियों द्वारा किया जाता है, तथा अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया था।

लाभों के प्रवाह के मूल्यांकन में मदद के लिए, सभी मंत्रालयों से अब विभिन्न समुदायों के अलग–अलग आंकड़े मांगे गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी बेहतर तथा यथासमय फीडबैक मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की मौजूदा तमाम योजनाओं में 11 नई योजनाओं को शामिल करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को एक प्रस्ताव भेजा गया है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह योजना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किए गए निर्धारण के तहत सृजित सभी परिसंपत्तियां अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों में अवस्थित होनी चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल विभिन्न योजनाओं के संयुक्त अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए सामाजिक लेखा–परीक्षा तथा स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

छात्रवृत्ति योजनाओं और निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अलावा, मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के क्षेत्र–विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करना जारी रखा है :

(i) बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
(ii) अल्पसंख्यकों को ऋण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान
(iii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के क्रियाकलापों हेतु मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान
(iv) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण।

वर्ष 2012–13 से अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

*****